


राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 1(2)(73) मअ/स्था/2008/ 98399
आदेश

जयपुर, दिनांक: 12/10/18

निदेशालय महिला अधिकारिता, के अन्तर्गत बजट मद 2235-02-196-00-29 (Other than schemes SF) में 07 संभाग स्तरीय जिला कार्यालयों एवं 03 सर्वाधिक पंचायत समिति वाले जिले (नागौर, बाडमेर, अलवर) कुल 10 जिला कार्यालयों में स्वीकृत दस सहायक निदेशक के पदों को उपनिदेशक के पदों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आईडी संख्या 101805465 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।



(रोली सिंह) 11/10/18

प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

मांक : एफ 1(2)(73) मअ/स्था/2008/ 98400-406
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 12/10/18

1. प्रधान महालेखाकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2)/आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
5. लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
6. निदेशालय, महिला अधिकारिता के समस्त अधिकारीगण।
7. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11/कैशियर/महिला अधिकारिता, जयपुर।

8. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता के विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।

(सुषमा अरोड़ा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता